सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 26.04.2026

भैस चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से 01 पिकअप, 01 तमंचा 315 बोर , 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 चाकू, 23,500/- रुपये नकद किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बकेवर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी देवेन्द्र कुमार पुत्र रुपराम निवासी नागरी लोलपुर थाना बकेवर जनपद इटावा द्वारा थाना बकेवर पर लिखित तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 20.04.2026 की रात्रि में वादी की दो भैंसों को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। सूचना पर तत्काल **थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 109/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद इटावा में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं लूट/चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में थाना बकेवर पुलिस द्वारा दिनांक 25/26.04.2026 की रात्रि को निवाड़ीकला से गुलाबपुरा जाने वाली सड़क पर चेकिंग के दौरान 01 पिकअप सवार अभियुक्तों को रोकने का प्रयास किया गया, जिनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से अनियंत्रित गति से वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा तत्परता एवं सूझबूझ से कार्यवाही करते हुए 02 अभियुक्तों सत्यम खटीक पुत्र कल्लू एवं रनवीर सिह पुत्र गुलाब सिंह को गिरफ्तार किया गया।

नोटः- 02 अभियुक्त अँधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है।

पुलिस पूछताछः-

पकड़े गये व्यक्तियों से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये उनकी तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अवैध चाकू व 23,500/- रुपये नकद बरामद किये गये। बरामदगी के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उन लोगों ने मिलकर दिनांक 20.04.2026 को नागरी लोलपुर से भैस चोरी की थी जिसे बेचकर प्राप्त रुपयों में से 23,500/- शेष बचे है। जिसके संबंध में थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 109/26 धारा 303 बीएनएस पंजीकृत है।

बरामद पिकअप को एमवी एक्ट की धारा 207 में सीज किया गया।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 110/26 धारा 109/317(2) बीएनएस व 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

पंजीकृत अभियुक्तगणः-

1. सत्यम खटीक पुत्र कल्लू निवासी अहेरीपुर थाना बकेवर जनपद इटावा उम्र 23 वर्ष।
2. रनवीर सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी मेंहदीपुर थाना बकेवर जनपद इटावा उम्र 32 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 109/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना बकेवर जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 110/26 धारा 109/317(2) बीएनएस व 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 01 तमंचा 315 बोर
2. 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 01 अवैध चाकू
4. 01 पिकअप **(मु0अ0सं0 109/26 की घटना में प्रयुक्त)**
5. 23,500/- रुपये मात्र। (**मु0अ0सं0 109/26 से संबंधित**)

पुलिस टीमः-

श्री विपिन मलिक थानाध्यक्ष बकेवर, उ0नि0 अंकित पटेल, उ0नि0 रजनीश कुमार तिवारी मय टीम।